न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव
आर.ए.एस

प्रार्थना–पत्र संख्या :– 22/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

अमरदास चेला केशवदास स्वामी हाल निवासी तेवडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन अधिनियम 1970

निर्णय

दिनांक 26.3.19

तहसीलदार (भू.अ) तहसील विराटनगर द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन अधिनियम के तहत् अप्रार्थी के विरूद्व निम्नभांति पेश किया है, जिसके संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है :–

1. यह है कि हाल खसरा नम्बर 513 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म बारानी दोयम वाके ग्राम तेवडी तहसील विराटनगर जो कि साबिक खसरा नम्बर 390 रकबा 9 बिस्वा किस्म बंजड दोयम से बने है, जो कि केशवदास चेला जानकीदास स्वामी साकिन देह को आवंटन दिनांक 23/7/68 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 30/12/1974 को गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुयी है एवं नामान्तरकरण संख्या 358 दिनांक 09/12/1978 केशवदास चेला जानकीदास को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। केशवदास चेला जानकीदास स्वामी ने नामा. सं. 183 दिनांक 06/12/96 के द्वारा रजिस्टर्ड दान–पत्र से अमरदास चेला केशवदास स्वामी साकिन तेवडी के नाम करा दिया है।
2. यह है कि हाल ख.नं. 513 रकबा 0.09 हैक्टर भूमि केशवदास चेला जानकीदास चेला जानकीदास के जो आवंटन हुआ है, गलत हुआ है। आवंटी उत्तर प्रदेश का है एवं पटवारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामवासियों ने तेवडी ग्रम में नृसिंह मंदिर में सेवा पूजा के लिए जानकीदास को पुजारी रखा था।
3. यह है कि उपरोक्त ख.नं. 513 रकबा 0.09 हैक्टर भूमि पर रिपोर्ट प्टवारी अनुसार अमरदास चेला केशवदास स्वामी साकिन देह ने पक्के मकान बना रखे है।
4. यह है कि प्रार्थी तेवडी तहसील विराटनगर का मूल निवासी नहीं था, उत्तर प्रदेश का निवासी था, प्रार्थी ने गलत तथ्य पेश कर आवंटन कराया है।
5. यह है कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन अधिनियम 1970 के तहत् प्रस्तुत कर उपरोक्त आ.ख.नं. 513 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म बारानी 2 वाके ग्राम तेवडी जो कि केशवदास चेला जानकीदास को आवंटन हुयी थी एवं उसकी मृत्यु हो चुकी है, हाल जमाबंदी में अमरदास चेला केशवदास के नाम दर्ज है। इसका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।
6. तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी हेतु नोटिस जारी किये बाद तामील अप्रार्थी की ओर से श्री मातादीन शर्मा एडवोकेट उपस्थित आये तथा जवाब पेश किया।

7. अप्रार्थी की ओर से जरिये वकील जवाब पेश हुआ, प्रस्तुत किया जवाब में तथ्य पेश है कि साबिक ख.नं. 390 रकबा 9 बिस्वा बंजड दोयम का आवंटन केशवदास चेला जानकीदास के होना सही है। केशवदास ने नियमानुसार स्वयं को आवंटन के बाद नियमानुसार पट्टा फीस जमा कराकर पट्टा गैर खातेदारी प्राप्त किया था, सम्पूर्ण कार्यवाही शुरू से ही राज्य सरकार के प्रतिनिधि को जानकारी रही है। नाम.सं. 252 दिनांक 30/12/1974 को तथा खातेदारी बाबत नामा.सं. 358 दिनांक 09/12/78 से केशवदास चेला जानकीदास को खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये है। केशवदास जी द्वारा रजिस्टर्ड दान पत्र अमरदास के हक में कराना तदनुसार उसके हक में नामा. 183 दिनांक 06/12/1996 स्वीकार हुआ है। आवंटन सम्पूर्ण कानूनी प्रकिया के बाद विधि अनुरूप भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा हुये आवंटन को लगभग 50 वर्ष की अवधि व्यतित हो चुकी है तथा उन्हें 38 वर्ष पूर्व खातेदारी हक हकूक प्रदत्त हो चुके है। केशवदास की नियुक्ति मंदिर नृसिंहजी कि सेवा पूजा हेतु की गयी थी, जिसे राज्य सरकार ने मान्यता दी है। देव स्थान आयुक्त के यहां से एन्यूटी भी प्राप्त होती थी। आवंटी काफी अर्से पूर्व ग्राम तेवडी तहसील विराटनगर में आवास निवास करता है। देव स्थान विभाग ने भी उनके आवास निवास को सरकारी कागजात् में मान्यता दी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रति पादित सिद्वान्त एवं न्यायिक विनिश्चयों के अनुसार आवंटन के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के बाद आवंटन को रद्द कराने बाबत कोई कार्यवाही कानूनन रूप से 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 के तहत् पोषणीय नहीं है। प्रार्थी को आवंटन हुए लगभग 40–50 वर्ष व्यतित हो चुके है। लाखों रूपये विकास कार्य में खर्च किया गया है। ऐसी स्थिति में आवंटन को रद्द किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं है। आवंटी ने खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद उसका दान पत्र प्रार्थी के हक में कराया है, जिसको सिविल कोर्ट से रद्द कराये बिना कोई भी कार्यवाही कानूनन रूप से चलने योग्य नहीं है। फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का तेवडी दिनांक 23/10/2018 के अनुसार प्रार्थी प्रश्नगत आराजी पर काबिज चला आ रहा है तथा उसे खातेदारी हक हकूक प्राप्त है, उसकी खातेदारी कानून रूप से नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 के तहत् निरस्त नहीं कि जा सकती है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

8. बहस सुनी गयी। प्रार्थी पैरोकार सरकार विराटनगर का कथन है कि ग्राम तेवडी के ख. नं. 513 रकबा 0.09 हैक्टर दिनांक 23/7/1968 को केशवदास चेला जानकीदास स्वामी सा. देह को हुआ आवंटन गलत हुआ है। आवंटी उत्तर प्रदेश का निवासी है। ग्राम तेवडी में ग्रामवासियों ने नृसिंह मंदि में सेवा पूजा के लिए रखा था, केशवदास चेला जानकीदास स्वामी ने जरिये नामा. सं. 183 दिनांक 06/12/1996 के द्वारा रजिस्टर्ड दान पत्र अमरदास चेला केशवदास स्वामी साकिन तेवडी के नाम करा दिया है। आवंटी ने गलत तथ्य पेश कर आवंटन कराया है। अतः प्रार्थना–पत्र 14(4) का पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त आ.ख.नं. 513 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म बारानी 2 वाके ग्रम तेवडी तहसील विराटनगर में से अमरदास चेला केशवदास का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी को सिवायचक घोषित करने के आदेश प्रदान करें।

9. वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि साबिक ख.नं. 390 रकबा 9 बिस्वा बंजड दोयम का आवंटन केशवदास चेला जानकीदास के नाम हुआ है। नियमानुसार पट्टा फीस जमा कराकर पट्टा गैर खातेदारी प्राप्त किया था नामा.सं. 358 दिनांक 09/12/78 से केशवदास चेला जानकीदास को खातेदारी अधिकार प्रदत किये है। केशवदास द्वारा अमरदास के हक में रजिस्टर्ड दान पत्र कराया जाकर तदनुसार उसके हक में नामा. 183 दिनांक 06/12/1996 स्वीकार हुआ है। आवंटन सलाहकार समिति विधि अनुरूप प्रकिया अपना कर आवंटन हुये को लगभग 50 वर्ष हो चुके है तथा उन्हें खातेदारी हक हकूक प्रदत्त हो चुके है। केशवदास को मंदिर नृसिंह जी की सेवा पूजा हेतु नियुक्ति की गयी थी, जो राज्य सरकार से मान्यता दी है तथा देव स्थान विभाग से एन्यूटी भी प्राप्त होती थी। आवंटी ग्राम तेवडी में काफी अर्से से आवास निवास करता है तथा आवंटी के आवास निवास को सरकारी कागजात् में देव स्थान विभाग द्वारा मान्यता ही है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रति पादित सिद्वान्त एवं न्यायिक विनिश्चयों के अनुसार आवंटन के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के बाद आवंटन रद्द कराने बाबत कोई कार्यवाही कानूनन रूप से 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 में तहत् पोषणीय नहीं है। प्रार्थी (आवंटी) को भूमि आवंटन हुये लगभग 40–50 वर्ष व्यतित हो चुके है। लाखों रूपये विकास कार्य में खर्च किया गया

है। ऐसी स्थिति में आवंटन को तद्दद किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं है। आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बादउसका दान पत्र किया है। दान पत्र को सिविल कोर्ट में निरस्त कराये बिना कोई कार्यवाही कानूनन रूप से चलने योग्य नहीं है। फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का तेवडी दिनांक 23/10/2018 के अनुसार (प्रार्थी/अपीलार्थी) प्रश्नगत आराजी पर काबिज चला आ रहा है तथा उसे खातेदारी हक हकूक प्राप्त है, उसकी खातेदारी भू-आवंटन नियम 1970 14(4) के तहत निरस्त नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्र हर्ज-खर्च से खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस पर गोर किया एवं पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया तो पाया कि जमाबंदी ग्राम तेवडी सम्वत् 2071 से 2074 में आ.ख.नं. 513 रकबा 0.09 हैक्टर बारानी 2 अमरसर चेला केशवदास कौम स्वामी सा. देह खातेदार के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड है। आवंटी केशवदास चेला जानकीदास जाति स्वामी को नामा.सं. 358 दिनांक 09/12/78 के द्वारा राजस्व अभियान ग्राम तेवडी में गैर खातेदारी से खातेदारी का इन्द्राज हुआ है। आवंटी केशवदास को भूमि आवंटन दिनांक 23/7/68 को तहसीलदार विराटनगर द्वारा होना बताया है, जो लगभग आवंटन हुए लगभग 50 वर्ष हो गये है, जो आवंटी द्वारा दिनांक 18/2/69 को नियमानुसार पट्टा फीस जमा कराकर पट्टा गैर खातेदारी प्राप्त किया था। प्रार्थी तहसीलदार विराटनगर का कथन है कि आवटी बहार का निवासी है और गलत तरिके से उक्त भूमि आवंटन करायी गयी है, जबकि आवंटी का परिवार राशन कार्ड सख्या 217/73 वर्ष 1974, 1995 का बना हुआ है तथा आवंटी का निर्वाचन पहचान-पत्र SJV/0250639 दिनांक 18/4/2009 विराटनगर विधान सभा क्षेत्र का बना हुआ है तथा देव स्थान विभाग उदयपुर एन्यूटी रजिस्टर में कमांक 2375 फाईल नं. एफ 9 (1812) एन्यूटी/विकास/66 जयपुर तेवडी जागीर मंदिर नृसिंह जी श्री केशवदास पुजारी नाम दर्ज है। इस प्रकार आवंटी काफी वर्षों से आवास निवास करता है। इससे सावित होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधि अनुरूप सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित कर आवंटी को भूमि आवंटन की है। आवंटन नियमों की पूर्ण शर्तों की पालना अनुरूप केशवदास को भूमि आवंटन हुयी है। उक्त भूमि आवटन हुए लगभग 50 वर्ष व्यतित हो चुके है। लाखों रूपये विकास कार्यों में खर्च किया गया है। ऐसी स्थिति में आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं है। आवंटी की ओर से सम्वत् 2051 से 2058 व 2048 से 2050 तथा सम्वत् 2059 से 2066 तक की गिरदावरियां अपने समर्थन में अप्रार्थी द्वारा पेश की है। आवंटी की मृत्यु होना वकील अप्रार्थी ने जाहिर किया है । आवंटी द्वारा जरिये दान पत्र से उक्त आराजी की भूमि अमरदास चेला केशवदास के नाम करवायी है, जिसका नामा. 183 दिनांक 06/12/96 वाके ग्राम तेवडी सरपच ग्राम पंचायत तेवडी से तस्दीक हुआ है। वर्तमान में अप्रार्थी के नाम आवंटित भूमि ख.नं. 513 रकबा 0.09 किस्म बारानी 2 राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। दान पत्र को सिविल न्यायालय से खारिज कराये बिना कोई कार्यवाही भी नहीं हो सकती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रति पादित सिद्वान्त एवं न्यायिक विनिश्चयों के अनुसार आवंटन के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्रददत करने के बाद आवंटन रद्द कराने बाबत कोई कार्यवाही कानून रूप से 14(4) भू-आवंटन नियम 1970 के तहत् पोषणीय नहीं है। वकील अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में आर.आर.टी(2018)(2) पेज 1007 सरकार बनाम शंकरलाल वगैरह पतराम बनाम राज. सरकार पेज नं. 780 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है, जो पूर्णतय चस्पा होते है। अतः प्रार्थी तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन अधिनियम 1970 स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र 14(4) आवंटन अधिनियम 1970 खारिज किया जाता है।
11. निर्णय आज दिनांक 26.3.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)